



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

विशेष आम सभा की बैठक

दिनांक : 12 फरवरी 2023
स्थान : भगवान पैलेस, सीवान
समय : 11 PM से
उपस्थिति : रजिस्टर के अनुसार

अध्यक्षता

माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने विशेष आम सभा की बैठक की अध्यक्षता की।

कोरम

यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि बैठक के लिए अपेक्षित सदस्यगण इस आम सभा में उपस्थित हैं, बैठक/सदन की शुरुआत किया गया।

उपस्थित सभी सदस्यों की अनुमति से, आम सभा बुलाने की सूचना जो पूर्व में सभी सदस्यों को दिया गया था, पुनः आज के चर्चा के लिए रिकॉर्ड पर लाया गया।

सभा का संचालन

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने उपस्थित सदस्यों / अतिथियों के स्वागत से करते हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की वर्तमान स्थिति से सबों को अवगत कराया। अध्यक्ष के आदेश पर जीएम प्रशासन श्री नीरज सिंह ने सभा का सञ्चालन किया।

इसके बाद आम सभा में वर्णित एजेंडों पर चर्चा प्रारम्भ हुआ:

एजेंडा संख्या-1: पूर्व के निर्णय की संपुष्टि - पूर्व के आम सभा तथा कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के निर्णयों को पढ़ कर उपस्थित सभी सदस्यों को सुनाया गया, जिसपर बहुमत से 28.08.2022 के वार्षिक आम सभा जो माननीय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से 25 सितंबर 2022 को सम्पन्न हुई, जिसमें नैतिक अधिकारी श्री राघवेंद्र कुमार सिंह के नियुक्ति संदर्भ में लिए गए निर्णय को छोड़कर अन्य सभी निर्णयों तथा पूर्व में कमिटी ऑफ मैनेजमेंट में लिए गए सभी निर्णयों की संपुष्टि की गई। बैठक में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 30 सितंबर 2022 को सिविल अपील 4235/2014 में दाखिल IA 133364/2022 & 133365/2022 में बीसीए की 25 सितंबर 2022 की आम सभा की बैठक तथा चुनाव को लेकर पारित निर्णय को आत्मसात करने तथा संपुष्टि करने का भी निर्णय लिया गया।

एजेंडा संख्या-2: दिनांक 20 दिसम्बर, 2022 को वेबसाइट पर प्रकाशित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रूल्स एंड रेगुलेशन में संशोधन हेतु आमंत्रित सुझाव के आलोक में प्राप्त सुझावों तथा संशोधन हेतु गठित समिति के सुझावों पर विचार व निर्णय।

संविधान संशोधन के मुद्दे को विमर्श के लिए पटल पर रखते हुए, अध्यक्ष महोदय से स्थिति को स्पष्ट करने का आग्रह किया गया। इस बिंदु पर सदन में बीसीए अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने बताया कि हमलोगों ने पूर्व के आम सभा में ही विचारोपरांत क्लब और एकेडमी को वोटिंग अधिकार देने की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया था। इस प्रकार का कोई भी संशोधन नहीं किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 14 सितंबर 2022 के निर्णय के अनुपालन बिंदु पर विमर्श कर निर्णय लिया जाना है। सदन में इस बिंदु पर संविधान संशोधन हेतु गठित समिति के रिपोर्ट पर लम्बी चर्चा हुई। चर्चा के उपरांत सदन ने संविधान संशोधन हेतु गठित समिति के रिपोर्ट को सम्यक बताते हुए से पारित किया, जो कि संलग्नक- 1 है।

एजेंडा संख्या-3: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नैतिक अधिकारी के द्वारा दिनांक 23.01.2023 को पारित अंतरिम आदेश से उत्पन्न स्थिति पर विचार व निर्णय।

Rakesh Kumar Tiwari

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

45-C, Patliputra Colony, Patna - 800 013, Bihar, India ☎ 6123180395, website: www.biharcricкетassociation.com



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

माननीय अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी ने सदन को बताया कि पूर्व के वार्षिक आम सभा में माननीय लोकपाल महोदय की नियुक्ति के लिए बीसीए अध्यक्ष को अधिकृत किया गया था, इसके बाद दिनांक 2 जनवरी 2023 को हुए कमेटी ऑफ मैनेजमेंट की बैठक में सर्वसम्मति से माननीय लोकपाल के पद पर श्री नवल किशोर सिंह, अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है, जिस पर सदन ने संतोष जताते हुए माननीय लोकपाल के पद पर श्री नवल किशोर सिंह, अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की नियुक्ति को संपुष्ट किया। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष श्री आशुतोष नन्दन सिंह ने सदन को बताया कि BCA के रूल्स एंड रेगुलेशन्स की धारा 43 के कंडिका 1 में इस बात का जिक्र है कि माननीय लोकपाल एवं नैतिक अधिकारी का कार्यकाल नियुक्ति की तिथि से तीन वर्ष से अधिक का नहीं हो सकता है। चूंकि श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह माननीय नैतिक अधिकारी सह प्रभारी लोकपाल की नियुक्ति 31 जनवरी 2020 के वार्षिक आम सभा में हुई थी, एवं इनका तीन साल का कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इस पर भी सदन को निर्णय लेने की आवश्यकता है।

लम्बी चर्चा के उपरांत निम्न निर्णय लिया गया:

1. चूंकि नियुक्ति की तिथि से, श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह का माननीय नैतिक अधिकारी के रूप में कार्यकाल का तीन टर्म/साल पूर्ण हो चुका है, अतः माननीय नैतिक अधिकारी के रूप में श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह के कार्यकाल को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है।
2. दिनांक 28 अगस्त 2022 की आम सभा में श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह के कार्यकाल से संबंधित लिए गए निर्णय विचारोपरांत, उस निर्णय को संपुष्ट नहीं करने का निर्णय लिया गया।
3. आम सभा में माननीय नैतिक अधिकारी की नयी नियुक्ति होने तक, नैतिक अधिकारी का प्रभार नवनि्युक्त माननीय लोकपाल श्री नवल किशोर सिंह (अवकाश प्राप्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश) को दिये जाने का निर्णय लिया गया।
4. सदन में निर्णय लिया गया कि नवनि्युक्त लोकपाल सह प्रभारी नैतिक अधिकारी महोदय से सभी लंबित मामले के त्वरित निष्पादन हेतु आग्रह किया जाए।
5. इस सभा के निर्णय से नवनि्युक्त माननीय लोकपाल सह प्रभारी नैतिक अधिकारी महोदय एवं पूर्व नैतिक अधिकारी सह प्रभारी लोकपाल महोदय को अवगत कराने एवं श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह के समक्ष लंबित एवं निष्पादित वाद के सभी दस्तावेज नवनि्युक्त माननीय लोकपाल श्री नवल किशोर सिंह को हस्तगत करवाने के लिए सीईओ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन श्री मनीष राज को अधिकृत किया।

एजेंडा संख्या-4: बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के रूटीन वर्क के सुचारू सञ्चालन में वर्तमान परिस्थिति में हो रही परेशानी पर विचार व निर्णय।

1. बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव अमित कुमार के कार्य मुक्त होने तथा माननीय नैतिक अधिकारी महोदय के द्वारा दिनांक 23.01.2023 के आदेश से संयुक्त सचिव सुश्री प्रिया कुमारी के कार्य पर भी रोक लगे होने के कारण कोषाध्यक्ष श्री आशुतोष नन्दन सिंह ने बीसीए की गतिविधियों के सुगम संचालन हेतु पूर्व से चली आ रही बैंक हस्ताक्षरी व्यवस्था को जारी रखने का आग्रह सदन तथा अध्यक्ष महोदय से किया। कोषाध्यक्ष महोदय श्री आशुतोष नन्दन सिंह ने उपस्थित सदस्यों को बताया कि दिनांक 25 सितंबर 2022 की पूर्व के कमेटी में सचिव और संयुक्त सचिव का पद रिक्त रहने के कारण अध्यक्ष महोदय और कोषाध्यक्ष के हस्ताक्षर से, दिनांक 16.08.2021 के बैठक में संविधान के 10 (1) C के आलोक में लिए गए निर्णय, के आधार पर एचडीएफसी बैंक, बोरिंग रोड शाखा के खाता का परिचालन हो रहा था। 18 जनवरी 2023 को माननीय लोकपाल महोदय के द्वारा सचिव अमित कुमार के कार्यमुक्त होने की स्थिति में सुश्री प्रिया कुमारी संयुक्त सचिव को बैंक खाता के परिचालन में हस्ताक्षरी हेतु अनुमति दी गयी है, लेकिन, एक अन्य मामले में दिनांक 23 जनवरी 2023 को दिये गए आदेश में नैतिक अधिकारी महोदय ने संयुक्त सचिव सुश्री प्रिया कुमारी के कार्य पर भी रोक लगा दिया है, जिसके कारण वर्तमान में 16.08.2021 के बाद वाली स्थिति उत्पन्न हो गयी है। अतः बीसीए की गतिविधियां प्रभावित न हो एवं सुगम सञ्चालन हो सके इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय से पूर्व से चल रही बैंकिंग हस्ताक्षरी व्यवस्था को ही जारी रखने का आग्रह किया गया। उपस्थित सदस्यों ने ध्वनिमत से कोषाध्यक्ष आशुतोष नन्दन सिंह के इस प्रस्ताव का समर्थन किया और अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया कि वह संविधान की धारा 10 (1) C के आलोक में जिसमें वर्णित है

Rakesh Kumar Tiwari

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

45-C, Patliputra Colony, Patna - 800 013, Bihar, India ☎ 6123180395, website: www.biharcricкетassociation.com



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

कि "The President shall also exercise such functions and duties as he may be empowered with General Body or Committee of Management" और इस सदन की अनुमति से कोषाध्यक्ष महोदय के साथ HDFC बैंक स्थित बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के खाता में अधिकृत रूप से हस्ताक्षर कर खाता का परिचालन करें, ताकि बीसीए की गतिविधियां अर्थ के आभाव में प्रभावित न हो। अध्यक्ष महोदय ने नए सचिव के आने तक तात्कालिक व्यवस्था के तहत सदन के निर्णय / अनुरोध को स्वीकार किया। सदन ने इसपर ताली बजाकर हर्ष व्यक्त किया, एवं माननीय अध्यक्ष महोदय को साधुवाद देते हुए इस निर्णय को ध्वनिमत से पारित किया।

2. अध्यक्ष महोदय के आदेश से कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह ने सदन को बताया कि दिनांक 31 जनवरी 2020 को सम्पन्न हुए वार्षिक आम सभा की बैठक में बीसीए का निबंधन कंपनी एक्ट (भारत सरकार) में कराने का निर्णय लिया था, जिसे अब तक कार्यान्वित नहीं किया जा सका है। साथ ही साथ कोषाध्यक्ष महोदय ने बताया कि निबंधन विभाग, बिहार सरकार के द्वारा बीसीए के जरूरी संबंधित कार्य के निष्पादन में लेट लतीफी करती है, तथा किसी भी शिकायत पर त्वरित कार्रवाई कर बीसीए की जांच करने, माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश की गलत व्याख्या कर बीसीए को परेशान करने का काम कर रही है, इसके अलावा चयन में राजनितिक दबाव दिया भी जाता है, जिससे बीसीए को क्रिकेटिंग गतिविधियों को संचालित करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इन सभी स्थितियों पर विचार करने और बीसीए का निबंधन कंपनी एक्ट, भारत सरकार से करवाने तथा निबंधन के पश्चात बीसीए की आम सभा आहुत कर, निबंधन विभाग, बिहार सरकार से प्राप्त निबंधन को विभाग में सरेडर करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष विचार हेतु रख रहा हूं।

कोषाध्यक्ष महोदय के इस प्रस्ताव को पश्चिम चंपारण जिला क्रिकेट संघ के राज कुमार, जहानाबाद जिला क्रिकेट संघ के विश्वास, सीवान जिला क्रिकेट संघ के अजय कुमार तिवारी, सारण जिला क्रिकेट संघ की अन्नु सिंह ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया, तथा सदन को बताया कि बीसीसीआई से संबद्ध हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश राज्य क्रिकेट संघ सहित अनेक राज्य संघों ने अपने निबंधन को राज्य सरकार की सोसाइटी एक्ट से भारत सरकार की कम्पनी एक्ट में परिवर्तित करने का काम किया है, उपस्थित सभी सदस्यों ने मेज थपथपा कर कोषाध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव का समर्थन किया। सदन में इस प्रस्ताव तर लंबी चर्चा के बाद इस प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित करते हुए, बीसीए के सीईओ मनीष राज को कंपनी एक्ट, भारत सरकार के पटना कार्यालय से संपर्क कर और बीसीए के कंपनी सेक्रेटरी का सहयोग लेकर बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नाम को आवंटित कराने एवं बीसीए को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट से कम्पनी एक्ट में ट्रांसफर करवाने के लिए सीईओ को सभी अवाकश्यक निर्णय के लिए के लिए बहुमत से अधिकृत किया। सदन ने यह भी निर्णय लिया कि सीईओ के पास यह अधिकार होगा कि सीईओ अपने अधीनस्थ किसी पदाधिकारी/कर्मचारी भी इस कार्य के लिए अधिकृत कर सकते है।

एजेंडा संख्या-5: विभिन्न जिला संघों की गतिविधियों के सुचारू सञ्चालन से सम्बंधित प्राप्त आवेदनों पर विचार व निर्णय।

1. संघ विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने के कारण बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ और नालंदा जिला क्रिकेट संघ की संबद्धता रद्द करते हुए, सदन ने बहुमत से बेगूसराय जिला क्रिकेट संघ में श्री मृत्युंजय कुमार विरेश तथा नालंदा जिला क्रिकेट संघ में श्री विजय कुमार की अध्यक्षता में क्रिकेट संचालन के लिए कमेटी का गठन किया। यह भी निर्णय हुआ कि बीसीए की आगामी घरेलू टूर्नामेंटों के लिए खिलाड़ियों का निबंधन समेत जिला संघों की सभी गतिविधियों का संचालन इसी कमेटी के द्वारा किया जाएगा। सदन ने बहुमत से पटना जिला क्रिकेट संघ में श्री राजेश कुमार की अध्यक्षता में कमेटी के गठन करने का निर्णय लिया गया।

सभाध्यक्ष महोदय के निर्देश पर सदन में खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के चुनाव पर सीईओ बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा बताया गया कि माननीय प्रभारी लोकपाल महोदय के आदेश के अनुपालन में हो रहे चुनाव के चुनाव पर्यवेक्षक (बीसीए के द्वारा नियुक्त), चुनाव अधिकारी एवं तदर्थ कमेटी के संयोजक (जिस तदर्थ कमेटी का गठन जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अवकाश प्राप्त) की अध्यक्षता वाली त्रिसदस्यीय कमेटी के द्वारा किया गया था), के द्वारा बीसीए को समर्पित रिपोर्ट में दिनांक 21 अगस्त 2022 को खगड़िया जिला क्रिकेट संघ में हुए चुनाव प्रक्रिया के दौरान एक स्थानीय विधायक के द्वारा आतंक पैदा करने तथा उस चुनाव को अपने पक्ष में प्रभावित करने के कारण, खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के चुनाव को बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के संयुक्त सचिव के द्वारा रद्द करते हुए तदर्थ कमेटी को कार्यशील रहने का निर्णय दिया गया था। वर्तमान में बहुत सारे कठिनाईयों एवं भय

Rakesh Kumar Singh

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

45-C, Patliputra Colony, Patna - 800 013, Bihar, India ☎ 6123180395, website: www.biharcricкетassociation.com



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Affiliated to BCCI

bca@biharcricketassociation.com

के माहौल को देखते हुए, खगड़िया जिला के खिलाड़ियों का करियर प्रभावित नहीं हो, इसलिए खगड़िया जिला क्रिकेट संघ में क्रिकेट संचालन के लिए तदर्थ कमेटी के पुनर्गठन की आवश्यकता है, ताकि क्रिकेट गतिविधि का सुगम संचालन हो और खगड़िया जिला क्रिकेट संघ में लोकतांत्रिक स्थिति बहाल हो सके एवं वहाँ भय मुक्त माहौल में क्रिकेट संचालित किया जा सके, इसके लिए सदन का विचार अपेक्षित है।

सदन में खगड़िया जिला क्रिकेट संघ की स्थिति पर गंभीर विमर्श किया गया सदन ने हितधारकों से विमर्श कर बहुमत से निर्णय लिया कि बाबूलाल शौर्य व बिनोद कुमार के नेतृत्व में कमेटी को पुनर्गठित करने के लिए बीसीए के माननीय अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी को अधिकृत किया जाता है। साथ ही खगड़िया जिला क्रिकेट संघ को इस भीषण/अराजक स्थिति में लाने वाले डा0 संजीव कुमार को क्रिकेट की गतिविधियों में अवांछित घोषित करते हुए इन्हें छह वर्ष के लिए राज्य अथवा किसी भी सम्बद्ध जिले की क्रिकेट गतिविधियों से निष्कासित करने का भी निर्णय लिया गया।

2. माननीय अध्यक्ष ने सदन को बताया कि संघ विरोधी मामले में अन्य कुछ जिला संघों को कारण पृक्षा नोटिस जारी किया जा चुका है, जवाब आने के बाद इन जिला संघों की स्थिति पर विचार कर निर्णय किया जाएगा। इस सम्बन्ध में सदन ने बहुमत से इन जिला संघों पर कार्यवाई करने के लिए माननीय अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी को उचित कानूनी सलाह ले कर या मशवरा कर, करने की लिए अधिकृत किया।
3. सभा अध्यक्ष से अनुमति लेकर सिवान जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष अजय कुमार तिवारी ने सदन को बताया कि विरोधियों के एक समूह के द्वारा अपराधिक षडयंत्र के तहत बीसीए को अस्थिर एवं बदनाम करने की साजिश लगातार की जा रही है। जिसमें रविशंकर प्रसाद सिंह, अजय नारायण शर्मा, त्रिविक्रम नारायण सिंह, ओम प्रकाश तिवारी आदि प्रमुखता से शामिल हैं। इस पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई, चर्चा के दौरान कोषाध्यक्ष आशुतोष नंदन सिंह ने सदन को बताया कि बीसीए अध्यक्ष पर फर्जी मुकदमा कराने के साजिशकर्ता ओम प्रकाश तिवारी ने मेरे द्वारा मेल करने के वावजूद अभी तक बीसीएल के लैपटाप समेत अन्य सामग्रियों को वापस नहीं किया है, सदन को इस पर अग्रेतर करवाई हेतु निर्णय लेना चाहिए। सदन ने बहुमत से निर्णय लिया गया, कि:
 - A. रविशंकर प्रसाद सिंह, अजय नारायण शर्मा, त्रिविक्रम नारायण सिंह को अवांछित तत्व के रूप में चिह्नित करते हुए किसी भी तरह के क्रिकेट की गतिविधियों में इनके शामिल होने पर रोक लगाने का निर्णय पारित किया जाता है।
 - B. बीसीए अध्यक्ष पर फर्जी मुकदमा कराने के साजिशकर्ता ओम प्रकाश तिवारी द्वारा बीसीए के लैपटाप समेत अन्य सामग्रियों को संघ को वापस नहीं करने पर उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्णय लिया गया, इसके साथ ही इन्हें भी अवांछित तत्व के रूप में चिह्नित करते हुए, क्रिकेट की सभी गतिविधियों पर रोक लगाने का फैसला लिया गया।
 - C. सदन ने बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि आवश्यकता पड़ने पर बीसीए कार्यालय के द्वारा इन लोगों पर अथवा संघ विरोधी तत्वों के ऊपर FIR दर्ज एवं जरूरत के हिसाब से माननीय लोकपाल, नैतिक अधिकारी, सिविल कोर्ट, माननीय पटना उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में वाद दाखिल किया जाएगा।
 - D. सदन ने बहुमत से यह भी निर्णय लिया कि संघ विरोधी लोगों के द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के फर्जी आम सभा/विशेष आम सभा कर के बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मानद पूर्ण सदस्यों को गुमराह किया जा रहा है। फर्जी नियुक्तियाँ की रही हैं। इस पर इस तरह के किसी भी तथा कथित आम सभा/विशेष आम सभा को रद्द करते हुए FIR दर्ज कराने एवं सक्षम न्यायालय में वाद दाखिल करने का निर्णय लिया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में संघ विरोधी लोगों के द्वारा किया जाने वाला कोई आम सभा / विशेष आम सभा को भी रद्द माना जायेगा।

एजेंडा संख्या-6: अंतर जिला टूर्नामेंट के आयोजन से सम्बन्धी अनुशंसाओं पर विचार व निर्णय।

1. आगामी टूर्नामेंट तथा टीम चयन पर प्रस्तुत टूर्नामेंट कमेटी और महाप्रबंधक क्रिकेट संचालन ने सदन में आगामी घरेलू टूर्नामेंट के आयोजन की योजना की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुए रिपोर्ट को विस्तार से सदन में बताया कि भविष्य में टीम का चयन घरेलू टूर्नामेंट और बीसीसीआई के मैचों में किए गए प्रदर्शन के आधार पर ही किया जाएगा। जिसे सम्पूर्ण सदन ने ध्वनि मत से पारित किया। सदन इस बात पर भी सहमत हुई कि वर्तमान में संघ को अस्थिर करने का कार्य विरोधियों के द्वारा किया जा रहा

Rakesh Kumar Singh

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

45-C, Patliputra Colony, Patna - 800 013, Bihar, India ☎ 6123180395, website: www.biharcricketassociation.com



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

है जो की चरम पर है। तमाम नाकाम कोशिशों के बावजूद सफल नहीं होने के कारण, विरोधियों की कोशिश बैंक के सञ्चालन को गलत ढंग से दबाब बना कर साजिश रोकने की जा रही है तथा बीसीए के घरेलू मैचों के सफल संचालन तथा बीसीए के सुगम सञ्चालन के लिए चार जिलों सारण, सीतामढ़ी, कैमूर और पूर्णिया जिला क्रिकेट संघ के खाते में 10-10 लाख रुपए स्थानांतरित किए जाने का निर्णय लिया गया। इस राशि का खर्च सीईओ, महाप्रबंधक (क्रिकेट संचालन) और महाप्रबंधक (प्रशासन) के द्वारा संयुक्त रूप से किए गए अनुशंसा के बाद किया जाएगा। टूर्नामेंट की समाप्ति के बाद शेष राशि जिला संघ को बीसीए को वापस कर देंगे। महाप्रबंधक क्रिकेट संचालन ने अंतर जिला प्रतियोगिता के लिए 1. प्रतिभागी जिला संघ 2. आयोजक जिला संघ 3. अंपायर 4. स्कोरर/ मैच ऑफिसियल के लिए सब्सिडी/मानदेय की रकम निर्धारित करने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया, जिसे औपबंधिक रूप से स्वीकृती प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया।

2. आगामी सीजन से ट्रायल आधारित चयन प्रक्रिया में कमी करने का निर्णय लिया गया तथा स्तरीय चयनकर्ताओं, कोच और सपोर्ट स्टाफ की नियुक्ति के लिए बीसीसीआई से बात करने के लिए बीसीए अध्यक्ष राकेश कुमार तिवारी को अधिकृत किया गया।

सभा के अंत में आसन के आदेश से एतद सम्बन्धी किसी अन्य सुझाव पर विचार व निर्णय लिया गया जो निम्न है:

1. सभाध्यक्ष की अनुमति से वेस्ट चंपारण के प्रतिनिधि श्री राज कुमार ने गवर्निंग काउंसिल सहित जरूरत पड़ने पर अन्य पदों पर चुनाव हेतु 25 सितंबर 2022 को सम्पन्न हुए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के चुनाव अधिकारी रहे डा मोहम्मदस्सिर के द्वारा सफलता पूर्वक कराये गए चुनाव को देखते हुए इनके चुनाव अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा।
निर्णय: इस प्रस्ताव पर सदन में उपस्थित अधिकांश सदस्यों ने डा मुद्दास्सिर के द्वारा 25 सितंबर 2022 को कराये गए चुनाव की प्रक्रिया को पारदर्शी तथा नियमानुकूल होने पर उन्हें धन्यवाद दिया और डा मोहम्मदस्सिर को भविष्य में होने वाले बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में नियुक्त करने हेतु निर्णय लिया गया। चर्चा के दौरान श्री कुमार ने सदन को यह भी बताया कि पूर्व में श्री A. K Chauhan (आईएस सेवानिवृत्त) जो कि बिहार चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव अधिकारी रहे हैं जिनकी नियुक्ति गलत तरीके से पूर्व के बर्खास्त सचिव संजय कुमार के द्वारा की गयी थी, जिनका बीसीए के संघ विरोधी कार्य में संलिप्त रही है, संघ पर दबाब बना कर अपने पैसे की मांग करते रहते हैं। सदन को इस पर भी निर्णय लेने की जरूरत है। सदन ने इस विषय पर चर्चा के पश्चात बहुमत से निर्णय लिया कि श्री A. K Chauhan जो सेवानिवृत्त आईएस अधिकारी है को किसी तरह का कोई भुगतान बीसीए के द्वारा नहीं किया जाएगा एवं आगे आने वाले किसी भी चुनाव में इनकी सेवा नहीं ली जाएगी।
2. सभाध्यक्ष की अनुमति से कोषाध्यक्ष श्री आशुतोष नन्दन सिंह ने पूर्व में हुई सभी नियुक्तियों सहित सभी कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राउंड स्टाफ के कार्यों से सदन को अवगत कराते हुए, बढ़ रहे कार्य दबाब को देखते हुए पदनाम एवं कार्य भार सहित कुछ पदों पर नियुक्ति करने हेतु सदन के समक्ष प्रस्ताव समर्पित किया।
निर्णय: इस विदु पर सदन ने सभी कार्यरत अधिकारियों, कर्मचारियों और ग्राउंड स्टाफ के कार्यों की समीक्षा करते हुए, इन सबों की प्रशंसा की, तथा नव नियुक्त कर्मचारियों की नियुक्ति को संपुष्ट किया। सदन ने सर्व सम्मति से कोषाध्यक्ष महोदय के प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए कार्य दबाब के आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति के प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त दी। इसी क्रम में सदन को अवगत कराया गया कि दिनांक 09-10-2021 की बैठक में श्री नीरज सिंह, जो महाप्रबंधक (प्रशासन) के रूप कार्यरत रहे हैं, को निलंबित करने तथा उनके सम्बन्ध में अग्रतर कारवाई के लिए माननीय अध्यक्ष को अधिकृत किया गया था, श्री नीरज सिंह के द्वारा समर्पित आवेदन के अवलोकन तथा विधि विशेषज्ञों से विमर्श कर माननीय अध्यक्ष ने श्री नीरज सिंह को निलंबन मुक्त करते हुए बीसीए के महाप्रबंधक, प्रशासन के उनकी पूर्व नियुक्त पद पर पुनर बहाली का आदेश 1 नवम्बर, 2022 को दिया, इस कार्य के लिए पूर्व से अधिकृत माननीय अध्यक्ष के श्री नीरज सिंह के सम्बन्ध में दिनांक 1 नवम्बर, 2022 के निर्णय को भी सदन ने संपुष्ट करने का निर्णय लिया।
3. सभाध्यक्ष की अनुमति से पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि एवं टूर्नामेंट कमेटी संयोजक ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि " बीसीए में अक्सर देखा गया है कि कार्य से संबन्धित सभी कागजात / फाइल्स आदि संबन्धित पदाधिकारी और कर्मचारी खुद के निजी संरक्षण में और आपने लैपटॉप में रखते हैं, जिसके कारण उनके हट जाने या चले जाने पर बीसीए को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस लिए हम बीसीए से संबन्धित सभी कागजात/फाइल्स आदि को बीसीए के कार्यालय में रखा जाय, तथा सभी जरूरत के soft copy फाइल्स भी बीसीए कार्यालय के कंप्यूटर में सुरक्षित रहे।

Rakesh Kumar Tiwari

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

45-C, Patliputra Colony, Patna - 800 013, Bihar, India ☎ 6123180395, website: www.biharcricкетassociation.com



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Affiliated to BCCI

bca@biharcricкетassociation.com

- निर्णय:** इस प्रस्ताव को सदन ने ध्वनिमत से पारित किया और इसे तत्काल प्रभाव से लागू करवाने के लिए उपअध्यक्ष महोदय को अधिकृत किया।
4. सभाध्यक्ष की अनुमति से जहानाबाद जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि श्री विश्वास ने सोशल मीडिया पर हो रहे अभद्र टिप्पणियों के लिए बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से कारवाई करने का आग्रह किया।
निर्णय: इस विंदु पर पूरा सदन एक साथ सहमत होते हुए सभा की अध्यक्षता कर रहे बीसीए के माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी से उचित निर्णय लेने का आग्रह किया। इस पर सभाध्यक्ष ने बीसीए के मुख्य प्रवक्ता श्री संजीव कुमार मिश्रा एवं मनोज कुमार सिंह (OSD) को सोशल मीडिया पर हो रहे अभद्र और अमर्यादित टिप्पणी करने वालों पर कारवाई करने के लिए अधिकृत किया, जिस पर सदन ने मेज थपथपा कर इस निर्णय पर सहमति व्यक्त की।
5. सभाध्यक्ष की अनुमति से सीवान जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि श्री अजय तिवारी ने बिहार में क्रिकेटिंग संसाधन के विकास के लिए बीसीए के माननीय अध्यक्ष महोदय से आग्रह किया।
निर्णय: इस विंदु पर बीसीए के माननीय अध्यक्ष श्री राकेश कुमार तिवारी ने सदन को बताया कि पटना में एक इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए बीसीसीआई की सहमति मिल गई है, जहां तक अन्य मैदानों को बनाने अथवा विकसित करने का मामला है, तो हम लोग मैदान बनाने के लिए जमीन की तलाश में हैं, मिलते ही एक बेहतर मैदान का निर्माण प्रारम्भ कर दिया जाएगा। बीसीए सभी जिला संघ के नियंत्रण वाले मैदानों में टर्फ विकेट का निर्माण अपने खर्चे से करवाएंगी। इसके साथ ही अध्यक्ष महोदय ने सभी जिला संघों से कहा कि अधिक से अधिक खिलाड़ियों को अवसर मिले इसके लिए योजना बना कर काम करने की जरूरत है।
6. सभाध्यक्ष की अनुमति से गोपालगंज जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि श्री साकेत गिरि ने वर्तमान कार्यालय के समक्ष पार्किंग का नहीं होना और कार्यालय का अति व्यस्त इलाके में होने की वजह से कार्यालय के संचालन में आ रही बाधाओं पर सदन का ध्यान आकर्षित कराते हुए, उसे किसी अच्छे स्थान पर स्थानांतरित करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखा।
निर्णय: इस बिन्दु पर माननीय अध्यक्ष ने GM Admin cum Accounts श्री नीरज सिंह से इस सन्दर्भ में कार्यालय सञ्चालन में आनेवाली परेशानी को सदन के समक्ष रखने का निर्देश दिया। श्री नीरज सिंह ने कार्यालय के सञ्चालन में, कार्यालय का अति व्यस्ततम इलाके में होने एवं कार्यरत कर्मचारियों एवं अन्य के लंबित भुगतान की वजह से सञ्चालन में हो रही सभी कठिनाइयों से सदन को अवगत कराया। इन सभी विन्दुओं पर विस्तृत चर्चा के बाद सदन ने ध्वनिमत से बीसीए के कर्मचारियों, वेंडरों, कार्यालय तथा गेस्ट हाउस आदि का किराया आदि के लंबित/ भुगतान करने के प्रस्ताव पर विहित प्रक्रिया के तहत करने हेतु सहमति देते हुए बीसीए के कार्यालय हेतु एक नए परिसर लेने का निर्णय लिया गया, जो 2500 से 3000 वर्गफुट का हो तथा जहाँ पार्किंग की समस्या नहीं हो। सदन ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के नए कार्यालय का संभावित किराया एवं इसके आंतरिक साज-सज्जा, विधुत उपस्थापन, नेट उपस्थापन व फर्नीचर आदि पर होने वाले खर्च पर श्री नीरज सिंह को सदन को अवगत कराने का अनुरोध किया। श्री नीरज सिंह ने सदन को बताया कि कार्यालय के लिए बहुत सारे मकान को देखा गया है जिनका मासिक किराया लगभग 1,25,000/- प्लस GST मकान मालिकों द्वारा कोट किया गया है। पाटलिपुत्र कॉलोनी के मकान संख्या 45-C, जिसके मकान मालिक श्री जवाहर सिंह हैं, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन किराये के लिए उपयुक्त है। श्री जवाहर सिंह ने अपने मकान का मासिक किराया 1,00,000/- प्लस GST कोट किया है। नेगोशिएशन (बातचीत) के बाद श्री जवाहर सिंह ने अपने मकान 45-C के 1st फ्लोर के पीछे का हिस्सा मासिक किराया 90,000/- प्लस GST पर देने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा 45-C के आंतरिक साज-सज्जा, विधुत उपस्थापन, इंटरनेट उपस्थापन व फर्नीचर हेतु अधिकतम 20 लाख रुपये का खर्चा अनुमानित है। चर्चा के बाद सदन ने ध्वनिमत से 45-C को अविलम्ब किराया पर लेने के लिए नीरज सिंह अधिकृत किया एवं अन्य विधिवत खर्चा के लिए औपबंधिक स्वीकृति प्रदान की।
7. सभाध्यक्ष की अनुमति से पूर्वी चंपारण जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि एवं टूर्नामेंट कमेटी संयोजक श्री ज्ञानेश्वर गौतम ने सदन के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि "पूर्व के आमसभा में लखीसराय जिला क्रिकेट संघ के श्री जयशंकर सिंह जी और मेरे साथ जो भी घटना हुई थी, उस पर हमलोगों ने आपस में हुई गलत फहमी को दूर कर लिया है, अतः उनके ऊपर लगे प्रतिबंध को समाप्त करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष रखता हूँ"
निर्णय: इस प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से पारित किया, और ज्ञानेश्वर गौतम जी को साधुवाद देते हुए श्री जय शंकर सिंह के विरुद्ध लिए गए निलंबन के आदेश को वापस लेने का निर्णय लिया गया।

Rakesh Kumar Singh

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

45-C, Patliputra Colony, Patna - 800 013, Bihar, India ☎ 6123180395, website: www.biharcricкетassociation.com



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Affiliated to BCCI

bca@biharcricketassociation.com

8. सभाध्यक्ष की अनुमति से सारण जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि सुश्री इंदु कुमारी ने सदन को बताया कि पूर्व में माननीय प्रभारी लोकपाल सह नैतिक अधिकारी के निर्णय के आलोक में एक त्रि-सदस्यीय कमिटी का गठन किया गया था। माननीय प्रभारी लोकपाल सह नैतिक अधिकारी महोदय के आदेश के अनुपालन में इस कमिटी का चेयरमैन सेवा-निवृत्त जिला सत्र न्यायाधीश को बनाया गया था एवं दो सदस्य बीसीए के द्वारा नॉमित किया गया था। इस कमिटी के द्वारा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सत्र 2022-2025 के चुनाव के पहले माननीय प्रभारी लोकपाल सह नैतिक अधिकारी के निर्णय के आलोक में जिला का चुनाव के लिए क्लबों / वोटर लिस्ट का सत्यापन करते हुए तदर्थ कमिटी का गठन किया एवं जिलों में चुनाव को समपन्न करवाया था। बीसीए के कमिटी ऑफ मैनेजमेंट के बैठक में लिए गए निर्णय "पूर्व में संपन्न हुए जिला संघों के चुनाव के क्लबों/ वोटर लिस्ट जाँच एवं संपन्न चुनाव का सत्यापन" का अधिकार भी इसी कमिटी को दिया गया था। सारण जिला क्रिकेट संघ के प्रतिनिधि सुश्री इंदु कुमारी ने बताया कि सत्र 2022-2025 के चुनाव संपन्न हो चुका है, नियमानुसार चुनाव के बाद सभी सब-कमिटी भंग हो जाती है, और कई जिलों में चुनाव को भी संपन्न कराया जाना है, अतः इस कमिटी के पुनः गठन पर सदन को विचार करना चाहिये।

निर्णय: इस प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा हुई, चर्चा उपरान्त बहुमत से निर्णय लिया गया कि पूर्व में किये गए प्रक्रिया के तहत एक त्रि-सदस्यीय कमिटी का गठन किया जाये जाता है। यह कमिटी बाकी बचे हुए जिला जिसमें चुनाव संपन्न नहीं हो पाया है का चुनाव के लिए पूर्व में बनायी गई नियमों के अनुसार वोटर लिस्ट का सत्यापन करते हुए एक तदर्थ कमिटी का गठन करेगी। यही तदर्थ कमिटी जिला के चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी का नियुक्ति करेगी एवं पूर्व के भांति प्रवेक्षक बीसीए के द्वारा नियुक्त किया जायेगा। इस कार्य के लिए माननीय लोकपाल महोदय श्री नवल किशोर जी से आग्रह किया जाए कि उनके द्वारा इस कमिटी के चेयरमैन पद हेतु अवकाश प्राप्त, जिला एवं सत्र न्यायाधीश / जिला न्यायालय के न्यायाधीश का नाम मनोनीत करें एवं बीसीए के तरफ से सदस्य के रूप में पूर्व संयुक्त सचिव श्री शंकर देव चौधरी एवं श्री मनोज कुमार सिंह (पूर्व पदाधिकारी, सीतामढ़ी जिला क्रिकेट संघ) को इस कमिटी के लिए नॉमित गया। इस कमिटी के संयोजक श्री शंकर देव चौधरी रहेंगे।

9. सभाध्यक्ष की अनुमति से बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के सीईओ श्री मनीष राज ने सदन को बताया कि माननीय लोकपाल महोदय के समक्ष बीसीए तथा बीसीए के माननीय पदाधिकारीगण, अधिकारी और कर्मचारियों के विरुद्ध दायर अथवा इनके द्वारा दाखिल किए जाने वाले मामलों के लिए एक अनुभवी अधिवक्ता को "पैनल एडवोकेट" के रूप में अधिकृत करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष निवेदित किया। सी ई ओ ने वर्तमान में अन्य अधिवक्ताओं के अलावा नियमित रूप से माननीय पटना उच्च न्यायालय में अधिवक्ता श्री राजु गिरि और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में श्री संतोष मिश्रा के द्वारा बीसीए के लिए किये जा रहे कार्यों से सदन को अवगत कराया। सीईओ ने यह भी बताया कि वर्तमान स्थिति में मानद संयुक्त सचिव के पटना से बाहर रहने के कारण, विभिन्न न्यायालयों में वकालतनामा के माध्यम से अधिवक्ताओं को पावर देने तथा बीसीए की ओर से दाखिल पक्ष / शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करने में आ रही परेशानी से भी सदन को अवगत कराया।

निर्णय :- इस विदु पर विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि:

- A. "बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और इनके पदाधिकारियों के द्वारा दायर मामले अथवा इनके विरुद्ध माननीय ट्रिब्यूनल, न्यायालयों, या प्राधिकारणों में दायर मामले की विस्तृत चर्चा की गई। गहन विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन अथवा इनके पदाधिकारियों से संबंधित किसी भी मामले में निजी अथवा एकल निर्णय के आधार पर उन्हें पावर ऑफ ऑटर्नी निर्गत नहीं करेंगे। सभा ने निर्णय लिया कि श्री प्रशांत कुमार सिन्हा को बीसीए के माननीय लोकपाल, नैतिक अधिकारी सहित पटना मुख्यालय स्थित माननीय न्यायालय अथवा प्राधिकरण में बिहार क्रिकेट एसोसिएशन तथा इनके पदाधिकारियों की तरफ से अथवा इनके विरुद्ध दायर मामलों में पैरवी करने हेतु नियुक्त किया जाता है। श्री राजू गिरि, बीसीए तथा बीसीए के पदाधिकारियों की तरफ से तथा इनके विरुद्ध माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर मामलों में पूर्व की भांति पैरवी करते रहेंगे। श्री संतोष मिश्रा, बीसीए तथा बीसीए के पदाधिकारियों की तरफ से तथा इनके विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर मामलों में पूर्व की भांति पैरवी करते रहेंगे। इसके अलावा बिहार क्रिकेट एसोसिएशन और इनके पदाधिकारियों के विरुद्ध या इनकी तरफ से किसी ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण अथवा सक्षम प्राधिकार सहित किसी भी माननीय न्यायालय में पैरवी हेतु / पक्ष रखने हेतु किसी विद्वान अधिवक्ता या प्रतिनिधि की नियुक्ति एकल या निजी निर्णय के आधार पर नहीं करेंगे।"
- B. सभी माननीय न्यायालयों, ट्रिब्यूनल, प्राधिकरण आदि में वकालतनामा पर हस्ताक्षर कर पावर देने हेतु बीसीए की ओर से संयुक्त सचिव की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता पर सीईओ/ महाप्रबंधक एवं विधि प्रबंधक को अधिकृत किया जाता है,

Rakesh Kumar Singh

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

45-C, Patliputra Colony, Patna - 800 013, Bihar, India ☎ 6123180395, website: www.biharcricketassociation.com



Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner



Affiliated to BCCI
bca@biharcricketassociation.com

ताकि विभिन्न न्यायालयों में बीसीए का पक्ष समय से रखा जा सके। साथ ही किसी प्राधिकार, थाना अथवा सम्बंधित सरकारी कार्यालय में भी बीसीए ओर से संयुक्त सचिव की अनुपस्थिति या अनुपलब्धता पर सीईओ/ महाप्रबंधक एवं विधि प्रबंधक पत्राचार करने या आवेदन देने या बीसीए का पक्ष रखने के लिए अधिकृत रहेंगे।

C. अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सदन में उपस्थित सदस्यों ने अपने मांगों/विचारों को सदन के पटल पर रखा, जिसपर विस्तार से चर्चा हुई, एवं निर्णय लिया गया, जो की संलग्नक -2 में संलग्न है।

राकेश कुमार तिवारी

Rakesh Kumar Tiwari

अध्यक्ष, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन

BIHAR CRICKET ASSOCIATION

45-C, Patliputra Colony, Patna - 800 013, Bihar, India ☎ 6123180395, website: www.biharcricketassociation.com



Scanned with OKEN Scanner